

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आरएसएस

राजस्व वाद सं. 13/2020

1. शीशराम पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
  2. चमेली
  3. भतेरी
  4. रामकला
  5. सुपात्र
- पुत्रीयान चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
- .....वादीगण

- बनाम -

1. अनगपाल
  2. यादराम
  3. रोहताश
  4. लीलाधर
  5. उदयमान
  6. जगदेव
  7. पूर्णमल
  8. बनारसी (राज.)
  9. कंवरसिंह
  10. बुधराम
  11. लालचन्द
  12. सतवीर
  13. जगमाल
  14. सरदारसिंह
  15. दलीप
  16. रेशमी पत्नि सुरेन्द्र नवीरा मुला नवीरा इन्द्राज जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
  17. कृष्ण
  18. जयपाल
  19. विधानन्द पुत्र मुला नवीरा इन्द्राज जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
  20. विजयसिंह पुत्र इन्द्राज जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
- पुत्रान प्रभात जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
- पुत्रान शंकर जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
- पत्नि शंकर जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
- पुत्रान नित्यानन्द जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
- पुत्रान धर्मचन्द जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बडबर तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
- पुत्रान सुरेन्द्र नवीरा मुला नवीरा इन्द्राज जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बडबर तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

21. बहादूर सिंह पुत्र हीरा नवीरा इन्द्राज जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
22. महिपाल } पुत्रान रामनिवास नवीरा प्रभूराम नवीरा भगवाना जाति अहीर
23. संजय } निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
24. भादर पुत्र प्रभूराम नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
25. सतपाल } पुत्रान कालूराम नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी
26. चन्द्रमान } सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
27. वेदप्रकाश }
28. शारदा पत्नि लालचन्द } नवीरा कालू नवीरा भगवाना जाति अहीर
29. बाबुलाल पुत्र लालचन्द } निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
30. लीलाधर पुत्र लालचन्द }
31. अनिता पुत्री लालचन्द }
32. तारावती पत्नि समशेर } नवीरा बनवारी नवीरा नाथा जाति अहीर नि.
33. संजय पुत्र समशेर } सहड़ हाल आबाद इन्द्रसर तह. बुहाना
34. सन्तोष पत्नि महावीर }
35. सुरेन्द्र पुत्र महावीर }
36. मोहरसिंह पुत्र गोकलसिंह जाति अहीर निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
37. कर्णसिंह } पुत्रान विशम्भर नवीरा प्रताप जाति अहीर निवासी
38. श्रामनिवास } सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
39. विक्रम }
40. विरेन्द्र }
41. रघुवीर }
42. सुभाष }
43. कृष्ण }
44. राजाराम }
45. ब्रह्मप्रकाश }
46. कमला पत्नि कर्णसिंह जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
47. कवरसिंह } पुत्रान डेडराज नवीरा मातादीन जाति निवासी सहड़
48. धर्मपाल } तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
49. सत्यवान }
50. मुन्नी } पुत्रीयान डेडराज नवीरा मातादीन जाति निवासी सहड़
51. रोशन } तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
52. सुमित्रा }
53. राकेश }
54. सुरेन्द्र सिंह } पुत्रान रामजीलाल जाति निवासी सहड़ तह. बुहाना
55. रामनिवास } जि. झुन्झुनू (राज.)
56. सुरेश पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
57. सुरजभान पुत्र गीगराज जाति सुनार निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

58. फूला पुत्र सेडू जाति कुम्हार निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)  
59. धर्मपाल पुत्र मुखराम नवीरा देवीसहाय जाति कुम्हार निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)  
60. रतिराम }  
61. कुम्भाराम } मोहरू नवीरा सेडू जाति कुम्हार निवासी सहड़ तह.  
62. विजय कुमार } बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
63. बिमला पत्नि लालचन्द नवीरा रामकुमार जाति कुम्हार निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
64. सन्दीप } पुत्रान लालचन्द नवीरा रामकुमार जाति कुम्हार  
65. अमित } निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
66. सरिता पुत्री लालचन्द नवीरा रामकुमार जाति कुम्हार निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
67. कृष्णा पत्नि रामसिंह नवीरा रामकुमार जाति कुम्हार निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
68. शिल्पा } पुत्रीयान रामसिंह नवीरा रामकुमार जाति कुम्हार निवासी  
69. काली } सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
70. धर्मवीर पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
71. शेरसिंह } पुत्रान रामस्वरूप नवीरा सेडू जाति कुम्हार निवासी  
72. हजारी } सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)  
73. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक चिड़ावा जि. झुन्झुनू (राज.)  
74. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

.....प्रतिवादीगण

दावा - घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती

उपस्थिति -

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता - वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

-: निर्णय :-

दिनांक: 16.8.22

वादी की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ति संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि:-

1. वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 265 रकबा 0.46 है. पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 45 के हकपूर्वाधिकारी सह खातेदार थे तथा अब वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 45 संयुक्त रूप से सह खातेदार है एवं अपने - अपने हिस्से व बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है। वादीगण का इस भूमि में प्रत्येक का 3/160- 3/160 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के चाचा मुरली पुत्र बक्तावर की नौओलाद अविवाहित मृत्यु दिनांक 12.01.2012 को हो चुकी



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

हैं। जिस कारण उनके चाचा मुरली उर्फ मुरलिया का 3/32 हिस्सा भी वादीगण को प्राप्त हो चुका है इस प्रकार इस भूमि में वादीगण का अब प्रत्येक का 3/80 - 3/80 हिस्सा हो गया है।

2. यह कि वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 154 रकबा 0.26 है. ख.न. 301 रकबा 0.32 है. ख.न. 302 रकबा 0.19 है. ख.न. 397 रकबा 0.50 है. ख.न. 398 रकबा 1.11 है. ख.न. 473 रकबा 0.34 है. ख.न. 493 रकबा 0.47 है. ख.न. 500 रकबा 0.59 है. ख.न. 544 रकबा 0.26 है. ख.न. 734 रकबा 0.18 है. ख.न. 735 रकबा 0.05 है. ख.न. 800 रकबा 0.48 है. ख.न. 896/279 रकबा 0.39 है. कुल कित्ता 13 कुल रकबा 5.14 है. के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 36 एवं प्रतिवादी सं. 41 लगायत 56 सह खातेदार है अपने - अपने हिस्से पर काबिज कास्त है इस भूमि में वादी सं. 1 का हिस्सा 17/257 दर्ज रिकार्ड है। एवं इस भूमि के सह खातेदार वादीगण के चाचा मुरली उर्फ मुरलीया पुत्र बक्तावर का भी 17/257 हिस्सा था जिसकी मृत्यु के बाद उसका यह हिस्सा वादीगण सं. 1 लगायत 5 को बराबर मिला है इस प्रकार अब इस भूमि में वादी सं. 1 का इस भूमि में 102/1285 हिस्सा है तथा वादीगण सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का 17/1285-17/1285 हिस्सा है इसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज कास्त है।
3. यह कि वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल ख.न. 111 रकबा 2.20 है. ख.न. 112 रकबा 0.60 है. ख.न. 113 रकबा 0.51 है. कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.31 है. में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 36 प्रतिवादी सं. 41 लगायत 45 प्रतिवादी सं. 58 लगायत 72 की कास्त की भूमि है जिसमें वादीगण के हकपूर्वाधिकारी चिंरजी पुत्र बक्तावर हिस्सा 1/12 तथा मुला उर्फ मुरलिया पुत्र बक्तावर हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार इस भूमि में अब वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है अर्थात वादीगण का प्रत्येक का 1/30 - 1/30 हिस्सा है।
4. यह कि वाके ग्राम भिर स्थित भूमि हाल ख.न. 877 रकबा 0.42 है. के खातेदार वादी सं. 1 हिस्सा 1/2 व वादीगण के चाचा मुरलीधर पुत्र बक्तावर हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है वादीगण के चाचा मुरलीधर की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु हो चुकी है तो अब इस भूमि वादी सं. 1 का 6/10 हिस्सा है तथा वादीयागण सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10- 1/10 हिस्सा है अर्थात कुल 4/10 हिस्सा है इसी अनुसार काबिज कास्त है।
5. यह कि वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 169 रकबा 0.24 है. ख.न. 197/81 रकबा 0.05 है. ख.न. 81 रकबा 0.80 है. कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.09 है. के खातेदार वादीगण 1 लगायत 4 हिस्सा 1/8 - 1/8 व वादीगण के चाचा मुरली पुत्र बक्तावर हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है जबकि इस भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा है एवं उनके चाचा मुरली की मृत्यु के बाद अब वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद दर्ज नामान्तरकरण में वादीया सं. 5 का नाम राजस्व कर्मचारीयों ने भूल या लापरवाही से छोड़ दिया एवं केवल वादी सं. 1 लगायत 4 का नाम दर्ज दिया जबकि वादीया सं. 5 का भी उनके बराबर हिस्सा था इसलिए इस भूमि में अब मुरली के नाऔलाद फौत होने व वादीगण के पिता की मृत्यु होने से सभी का 1/5 - 1/5 हिस्सा है।



(सुनील कुमार चौहान)  
अनुसंधान अधिकारी कुल्लु  
जिला मुख्यालय (राज.)

6. यह कि वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 137 रकबा 1.24 है. ख.न. 138 रकबा 0.57 है. ख.न. 139 रकबा 0.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 है. के खातेदार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी एवं प्रतिवादी सं. 47 लगायत 52 तथा प्रतिवादी सं. 56 व 57 है। इस भूमि में वादीगण के पिता चिंरजीलाल पुत्र बक्तावर तथा वादीगण के चाचा मुरलिया उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर दोनों का अलग-अलग  $1/8 - 1/8$  हिस्सा दर्ज रिकार्ड है वादीगण के पिता व चाचा की मृत्यु के बाद के बाद उन दोनों का हिस्सा वादीगण को प्राप्त हो चुका है अब इस भूमि में वादीगण का प्रत्येक का  $1/20-1/20$  हिस्सा है।
7. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम सहड़ स्थित हाल ख.न. 265 रकबा 0.46 है. में अब वादीगण का अलग-अलग  $3/80$  है तथा प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 का प्रत्येक का  $1/640$  हिस्सा दर्ज रिकार्ड तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की माता माड़ी पत्नि प्रभात की मृत्यु हो चुकी है इस कारण उनकी माता का  $1/640$  हिस्सा भी प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 को बराबर मिला है तो अब प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का प्रत्येक का इस भूमि में  $1/512- 1/512$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 5 लगा. 8 का इस भूमि में प्रत्येक का  $3/64$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 9 लगा. 12 का प्रत्येक का इस भूमि में  $1/320$  हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं इनकी माता गिन्दोड़ी पत्नि नित्यानन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसका भी इस भूमि में  $1/320$  हिस्सा था जो उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 9 लगा. 12 को मिला है तो इस भूमि में प्रतिवादी सं. 9 लगायत 12 का प्रत्येक का  $1/256$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 13 लगा. 15 के हकपूर्वाधिकारी धर्मचन्द पत्र इन्द्राज का इस भूमि में  $3/128$  था अब इस भूमि में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारीसान प्रतिवादी सं. 13 लगा. 15 का प्रत्येक का  $3/384$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 16 लगा. 19 के हकपूर्वाधिकारी मुला पुत्र इन्द्राज का इस भूमि में  $3/128$  हिस्सा था उनकी भी मृत्यु हो चुकी है उसके वारीसान प्रतिवादी सं. 16 लगा. 19 है इस भूमि में अब प्रतिवादी सं. 16 का  $3/1152$  हिस्सा प्रतिवादी सं. 17 का  $3/1152$  हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 का  $3/1152$  हिस्सा प्रतिवादी सं. 19 का हिस्सा  $3/384$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 20 का  $3/128$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 21 के हकपूर्वाधिकारी हीरा पुत्र इन्द्राज का इस भूमि में  $3/128$  हिस्सा था तो उनकी मृत्यु के पश्चात अब प्रतिवादी सं. 21 का इस भूमि में  $3/128$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 22 लगायत 31 के हकपूर्वाधिकारी भगवाना पुत्र हरसहाय का इस भूमि में  $1/8$  हिस्सा था उनकी भी मृत्यु हो चुकी है अब उनके वारीसान प्रतिवादी सं. 22 लगायत 31 है इस प्रकार इस भूमि में प्रतिवादी सं. 22 का  $1/64$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 23 का  $1/64$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 24 का  $1/32$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 25 लगा. 27 का प्रत्येक का  $1/64$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 28 लगायत 31 का प्रत्येक का  $1/256$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 32 लगा. 35 के हकपूर्वाधिकारी नाथा पुत्र औकार का इस भूमि में  $1/128$  हिस्सा था अब उसके वारीसान प्रतिवादी सं. 32 लगायत 35 का प्रत्येक का  $1/512$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 36 का  $3/32$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 37 लगा. 40 के हकपूर्वाधिकारी विशम्भर पुत्र प्रताप का इस भूमि में  $3/16$  हिस्सा था जिनकी मृत्यु के बाद अब उसके वारीसान प्रतिवादी सं. 37 लगायत 40 का प्रत्येक का  $3/64$  हिस्सा है प्रतिवादी सं. 41 लगा. 45 के हकपूर्वाधिकारी सुलतान पुत्र गोकल का इस भूमि में  $3/32$  हिस्सा था इनकी मृत्यु



(सुनिवेश अधिकारी)  
जयपुर जिला सुन्दर (राज.)  
उपनिवेश अधिकारी सुन्दर  
जयपुर जिला सुन्दर (राज.)

- के बाद उसके वारीसान प्रतिवादी सं. 41 लगा. 45 का प्रत्येक का 3/160 हिस्सा है।
8. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 2 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 17/257 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं उनके चाचा मुरली पुत्र बक्तावर की अविवाहित मृत्यु होने के पश्चात उनको उत्तराधिकार में मिल हिस्से 17/1285 को मिलाकर वर्तमान में वादी सं. 1 इस भूमि में 102/1285 हिस्सा है वादीयागण सं. 2 लगा. 5 का प्रत्येक का इस भूमि में 17/1285 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 36 का 69/1028 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 41 लगा. 45 के हकपूर्वाधिकारी सुलतान पुत्र गोकल का 69/1028 हिस्सा था तो उनकी मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी सं. 41 लगा. 45 उसके उत्तराधिकारी है इस कारण प्रतिवादी सं. 41 लगा. 45 का प्रत्येक का 69/5140 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 46 का 105/1028 है प्रतिवादी सं. 47 लगा. 52 के हकपूर्वाधिकारी डेडराज पुत्र मातादीन का इस भूमि में 83/514 हिस्सा था इनकी भी मृत्यु हो चुकी है तो अब इसके वारीसान प्रतिवादी सं. 47 लगायत 52 का प्रत्येक का 83/3084 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 53 लगा. 55 का इस भूमि में प्रत्येक का 53/1542 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 56 का 68/257 हिस्सा है।
9. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 3 में वर्णित भूमि में वादीगण के पिता चिरजी पुत्र बक्तावर का 1/12 हिस्सा तथा उनके चाचा मुला उर्फ मुरलिया पुत्र बक्तावर का 1/12 हिस्सा था इन दोनों की मृत्यु के बाद वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 36 का 1/12 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 41 लगायत 45 के हकपूर्वाधिकारी सुलतान पुत्र गोकल का इस भूमि में 1/12 हिस्सा था जिनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 41 लगा. 45 का प्रत्येक का इस भूमि में 1/60 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 58 का 1/9 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 59 के हकपूर्वाधिकारी मुखराम पुत्र देवीसहाय का इस भूमि में 1/6 हिस्सा था जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 59 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 60 लगा. 62 के हकपूर्वाधिकारी मोहरू पुत्र सेडू का इस भूमि में 1/9 हिस्सा था इनकी भी मृत्यु हो चुकी है इनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 60 लगा. 62 का प्रत्येक का 1/27 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 63 लगा. 69 के हकपूर्वाधिकारी रामकुवार पुत्र देवीसहाय का 1/6 हिस्सा था जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 63 लगायत 66 का प्रत्येक का 1/72 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 67 लगायत 69 का प्रत्येक का 1/54 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 70 का 1/18 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 71 तथा 72 के हकपूर्वाधिकारी रामस्वरूप पुत्र सेडू का इस भूमि में 1/9 हिस्सा था जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है अब उनके वारीसान प्रतिवादी सं. 71 का 1/18 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 72 का 1/18 हिस्सा है।
10. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 4 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है वादी के चाचा मुरलीधर पुत्र बक्तावर की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु हो चुकी है इसके बाद इस खण्ड नं. 4 में वर्णित भूमि में अब 3/5 हिस्सा है तथा वादीयागण सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10- 1/10 हिस्सा है अर्थात 2/5 हिस्सा है।
11. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 5 में वर्णित भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा है एवं वादीगण के चाचा मुरली पुत्र बक्तावर की मृत्यु के बाद उनका 1/2 हिस्सा भी वादीगण को उत्तराधिकार में मिला है तो अब इस भूमि



(सुनील कुमार चौहान)  
जयप्रकाश अधिकारी कुल्लु  
जिला मुन्शी (राज.)

- में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/5- 1/5 हिस्सा है इस भूमि में वादीया सं. 5 का उसके पिता की मृत्यु के बाद 1/10 हिस्सा था लेकिन उसका नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि वादीया सं. 5 को 1/10 हिस्सा अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है।
12. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 6 में वर्णित भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 47 लगायत 52 का प्रत्येक 1/48 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 56 का 1/8 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 57 का 1/2 हिस्सा है।
  13. यह कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं वाद वर्णित भूमि कृषि भूमि हैं तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं।
  14. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने तथा इस भूमि में वादीगण का हिस्सा सही दर्ज नहीं होने से पैदा हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद है।
  15. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम सहड़, सहड़ का बास, भिर, भोपालपुरा तहसील बुहाना मे स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में हैं इसलिए यह वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
  16. यह कि प्रतिवादी सं. 72 से प्रतिवादी सं. 46 ने ऋण ले रखा है तथा प्रतिवादी सं. 73 लैण्ड होल्डर हैं इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।
  17. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/-रु., रिकार्ड दुरुस्ती के लिए 1/-रु. कोर्ट फीस नियत है अर्थात् दावा कुल 2/-रु. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।
  18. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश है। वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :-

- (क) कि वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 265 रकबा 0.46 है. में वादी सं. 1 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 2 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 3 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 4 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 5 का 3/80 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने की कृपा करे।
- (ख) कि वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 154 रकबा 0.26 है. ख.न. 301 रकबा 0.32 है .ख.न. 302 रकबा 0.19 है. ख.न. 397 रकबा 0.50 है. ख.न. 398 रकबा 1.11 है. ख.न. 473 रकबा 0.34 है. ख.न. 493 रकबा 0.47 है. ख.न. 500 रकबा 0.59 है. ख.न. 544 रकबा 0.26 है. ख.न. 734 रकबा 0.18 है. ख.न. 735 रकबा 0.05 है. ख.न. 800 रकबा 0.48 है. ख.न. 896/279 रकबा 0.39 है. कुल किता 13 कुल रकबा 5.14 है. में वादी सं. 1 को 102/1285 हिस्सा वादीया सं. 2 को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 3को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 4को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 5को 17/1285 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर मुरली उर्फ मुरलिया पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने की कृपा करे।
- (ग) कि वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल ख.न. 111 रकबा 2.20 है. ख.न. 112 रकबा 0.60 है. ख.न. 113 रकबा 0.51 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.31 है. में वादी



(सुनील कुमार चौहान)  
जयप्रकाश अधिकारी मुन्शुफ  
जिला मुन्शुफ (राज.)

- सं. 1 को 1/30 हिस्सावादी सं. 2 को 1/30 हिस्सावादी सं. 3 को 1/30 हिस्सावादी सं. 4 को 1/30 हिस्सावादी सं. 5 को 1/30 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर चिरंजी पुत्र बक्तावर व मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने की कृपा करे।
- (घ) कि वाके ग्राम भिरर स्थित भूमि हाल ख.न. 877 रकबा 0.42 है. में वादी सं. 1 को 3/5 हिस्सा का तथा वादीयागण सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10 - 1/10 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने की कृपा करे।
- (ङ) कि वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 169 रकबा 0.24 है. ख.न. 197/81 रकबा 0.05 है. ख.न. 81 रकबा 0.80 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है. में वादी सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/5 - 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ जाने की कृपा करे।
- (च) कि वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 137 रकबा 1.24 है. ख.न. 138 रकबा 0.57 है. ख.न. 139 रकबा 0.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 है. में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक को 1/20 - 1/20 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर मुरलीया उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने की कृपा करे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। जिनकी सम्यक तामिल के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आए जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। साक्ष्यवादी के वादी का शपथपत्र पी.डब्ल्यू-1 पेश किया गया दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदर्श पी-1, जमाबन्दी प्रदर्श पी-2, जमाबन्दी प्रदर्श पी-3, जमाबन्दी प्रदर्श पी-4, जमाबन्दी प्रदर्श पी-5, जमाबन्दी प्रदर्श पी-6 पेश किया गये मुताबिक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण का दावा डिकी किये जाने योग्य है।

-: आदेश :-

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 265 रकबा 0.46 है. में वादी सं. 1 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 2 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 3 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 4 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 5 का 3/80 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने आदेश दिया जाता है। तथा वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 154 रकबा 0.26 है. ख.न. 301 रकबा 0.32 है. ख.न. 302 रकबा 0.19 है. ख.न. 397 रकबा 0.50 है. ख.न. 398 रकबा 1.11 है. ख.न. 473 रकबा 0.34 है. ख.न. 493 रकबा 0.47 है. ख.न. 500 रकबा 0.59 है. ख.न. 544 रकबा 0.26 है. ख.न. 734 रकबा 0.18 है. ख.न. 735 रकबा 0.05 है. ख.न. 800 रकबा 0.48 है. ख.न. 896/279 रकबा 0.39 है. कुल किता 13 कुल रकबा 5.14 है. में वादी सं. 1 को 102/1285 हिस्सा वादीया सं. 2 को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 3 को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 4 को 17/1285 हिस्सा



(सुनील कुमार खंडन)  
जयपुर अदिकारी मुन्सुफ  
जयपुर (राज.)

वादीया सं. 5 को 17/1285 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरली उर्फ मुरलिया पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल ख.न. 111 रकबा 2.20 है. ख.न. 112 रकबा 0.60 है. ख.न. 113 रकबा 0.51 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.31 है. में वादी सं. 1 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 2 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 3 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 4 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 5 को 1/30 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज खातेदार चिरंजी पुत्र बक्तावर व मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वाके ग्राम भिर स्थित भूमि हाल ख.न. 877 रकबा 0.42 है. में वादी सं. 1 को 3/5 हिस्सा का तथा वादीयागण सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10 - 1/10 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 169 रकबा 0.24 है. ख.न. 197/81 रकबा 0.05 है. ख.न. 81 रकबा 0.80 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है. में वादी सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक को 1/5 - 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ जाने आदेश दिया जाता है। तथा वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 137 रकबा 1.24 है. ख.न. 138 रकबा 0.57 है. ख.न. 139 रकबा 0.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 है. में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक को 1/20 - 1/20 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा मुरलीया उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक जिला मजिस्ट्रेट मुहाना

जिला मुहाना (राज.)

जिला मुहाना (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 16/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया गया है।  
न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकित कर खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया है।



(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक जिला मजिस्ट्रेट मुहाना

जिला मुहाना (राज.)

जिला मुहाना (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-  
राजस्व वाद स. 13/2020

सुनील कुमार चौहान, आरएएस

शिशराम आदि बनाम अनगपाल आदि  
दावा - घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्ती

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेटकी उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई इस वाद में आज तारीख 16/8/22 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

" वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 265 रकबा 0.46 है. में वादी सं. 1 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 2 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 3 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 4 का 3/80 हिस्सा वादीया सं. 5 का 3/80 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने आदेश दिया जाता है। तथा वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 154 रकबा 0.26 है. ख.न. 301 रकबा 0.32 है. ख. न. 302 रकबा 0.19 है. ख.न. 397 रकबा 0.50 है. ख.न. 398 रकबा 1.11 है. ख.न. 473 रकबा 0.34 है. ख.न. 493 रकबा 0.47 है. ख.न. 500 रकबा 0.59 है. ख.न. 544 रकबा 0.26 है. ख.न. 734 रकबा 0.18 है. ख.न. 735 रकबा 0.05 है. ख.न. 800 रकबा 0.48 है. ख.न. 896/279 रकबा 0.39 है. कुल किता 13 कुल रकबा 5.14 है. में वादी सं. 1 को 102/1285 हिस्सा वादीया सं. 2 को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 3 को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 4 को 17/1285 हिस्सा वादीया सं. 5 को 17/1285 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरली उर्फ मुरलिया पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल ख.न. 111 रकबा 2.20 है. ख.न. 112 रकबा 0.60 है. ख.न. 113 रकबा 0.51 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.31 है. में वादी सं. 1 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 2 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 3 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 4 को 1/30 हिस्सा वादी सं. 5 को 1/30 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज खातेदार चिरंजी पुत्र बक्तावर व मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वाके ग्राम निरं स्थित भूमि हाल ख.न. 877 रकबा 0.42 है. में वादी सं. 1 को 3/5 हिस्सा का तथा वादीयागण सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10 - 1/10 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 169 रकबा 0.24 है. ख.न. 197/81 रकबा 0.05 है. ख.न. 81 रकबा 0.80 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है. में वादी सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक को 1/5 - 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरली उर्फ मुला पुत्र बक्तावर का नाम हजफ जाने आदेश दिया जाता है। तथा वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि हाल ख.न. 137 रकबा 1.24 है. ख.न. 138 रकबा 0.57 है. ख.न. 139 रकबा 0.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 है. में वादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक को 1/20 - 1/20 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा मुरलीया उर्फ मुरलीधर पुत्र बक्तावर का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। "

खर्चा वाद वादी अपना वहन करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 16/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकित कर खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया है।



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलैक्टर, बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)